



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, शाखा-जबलपुर,

आ-1362-I-16

प्रस्तुत दिनांक :

राजस्व क्रं०

मोतीराम (मृत)

अशोक आ० मोतीराम, जाति-कुर्मी, उम्र-45 वर्ष,

निवासी-ग्राम लामाजोति, तह० व जिला-सिवनी

पुनरीक्षणकर्ता ।

विरुद्ध

39

1. गोविंद आ० रतनलाल, उम्र-43 वर्ष, जाति-कुर्मी

2. पप्पू आ० रतनलाल, उम्र-40 वर्ष, जाति-कुर्मी

श्री **अशोक** द्वारा निवेदन
आवेदन प्रस्तुत
प्रस्तुतकार **अशोक**
06 APR 2016
अधीक्षक
कार्यालय कनिष्ठ, जबलपुर संभाग

ग्राम लामाजोति, तह० व जिला-सिवनी।

उत्तरवादीगण ।

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता के तहत

यह पुनरीक्षण विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार माहादय, सिवनी भाग-01 जिला-सिवनी के न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रं०-10अ6 (अ)/2011-12 पक्षकार गोविंद बगैरह विरुद्ध मोतीराम बगैरह, प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2016 को प्रतिवेदित करते हुये उत्तरवादीगण की भूमि ख०न०-30 पर रकबा 0.32 हे० पुनरीक्षणकर्तागणों की भूमि से कमी पूरी करते हुये प्रतिवेदन बनाया गया। इसलिये दिनांक 18.02.2016 के प्रतिवेदन से दुःखित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष उत्तरवादीगणों ने इस आशय का रिकार्ड दुरुस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि ख०न०-30, रकबा 3.32 हे० भूमि में 0.32 हे० भूमि बंदोबस्त के दौरान रकबा कम हो गया है और वर्तमान में 3.00 हे० भूमि अभिलेख में दर्ज है, जिसे दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

Handwritten signature

2. यह कि उत्तरवादी ने यह भी कथन किया है, कि उत्तरवादीगण के पूर्वज ... मोतीराम एवं उनके अन्य भाईयों के बीच

मि.नं.: 1363 अ/16 (सिवनी)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभियंता आदि के हस्ताक्षर
<p>24/8/16 जबलपुर</p>	<p>आवेदन के उद्घोषणा को भेजा गया सूचनापत्र नामीक उपांत प्राप्त. परंतु फिर की आवेदन या उसके उद्घोषणा उप. नदी के उन्हें समय-समय पर जावाज लक्ष्यार्थ गरी। कर: प्रमाण आवक फेरवी के निरस्त किया जाता है। दायित्व निवारण है।</p> <p style="text-align: right;">(Signature) रवि</p>	

R
MSL